

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम

केरल- 695 011, भारत

(एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार)

SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM

KERALA - 695011, INDIA

(An institution of National importance, Department of Science and Technology, Govt. of India)

विवरण पत्रिका **PROSPECTUS**

शैक्षणिक कार्यक्रम

ACADEMIC PROGRAM

SESSION - 2022

www.sctimst.ac.in



CONTENTS	Page No
Introduction	03
Programs on Offer for Session 2022	04
Post-doctoral Programs: Number of seats, duration and eligibility	05
Important Dates of Admission/Schedule of Examination	06
Salary	11
Fee Structure	12
Important Contact Addresses	15
Hys. TRIVANDRUM. 190	



INTRODUCTION

ree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) is an Institution of National Importance with the status of a University under the Department of Science and Technology, Govt. of India by an Act of Parliament (Act 52 of 1980). The joint culture of medicine and technology that the Institute pioneered more than four decades ago has come of age and gained unprecedented acceptance in India. The Institute focuses on advanced super specialty postgraduate training programs in medical specialties and health research of social relevance and development of high quality, medical devices and technology of industrial significance. The emphasis is on development of activities less readily available in the country such as interventional radiology, interventional stroke care, cardiac electrophysiology, advanced cardiothoracic and vascular surgery, surgery for epilepsy, micro neurosurgery, deep brain stimulation for movement disorders, development of new biomedical devices and products, evaluation of medical devices to global specifications, new academic programs and health science research and training.

The Institute has three wings – the Hospital Wing, the Biomedical Technology Wing and the Achutha Menon Centre for Health Science Studies Wing. Excellent research and learning opportunities are available at these wings. The Institute has a dedicated team of clinicians, scientists and engineers devoted to high-quality medical research, biomedical research and technological development and public health research.

The Institute's objectives are:

- Promote biomedical engineering and technology.
- Provide and demonstrate high standards of patient care in advanced medical specialties.
- Develop innovative postgraduate training programs of the highest quality in advanced medical specialties and biomedical engineering and technology.
- Participate in public health reforms through research, training and interventions.

The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology Act, 1980, empowers the Institute to offer post-graduate programs in medical sciences and biomedical engineering and stipulates that the medical degrees and diplomas granted by the Institute shall be recognized medical qualifications for the purpose of the Indian Medical Council Act and that they shall be deemed to be included in the First Schedule to that Act.



1. DM Cardiology	
2. DM Neurology	
3. DM Neuro Imaging and In	nterventional Neuroradiology
4. DM Cardiovascular Imagi Radiology	ng and Vascular Interventional
5. DM Cardiothoracic & Vas	cular Anaesthesia
6. DM Neuroanaesthesia	
7. MCh Cardiovascular & Th	noracic Surgery
8. MCh Neurosurgery (after	MS)
9. MCh Vascular Surgery	5
H. H	



POST-DOCTORAL PROGRAMS: NUMBER OF SEATS, DURATION AND ELIGIBILITY

	Number of Seats		D (
Program	General quota	Sponsored seats	Duration (Year)	Qualifications required
DM Cardiology	6	3	3	MD/DNB in Gen. Medicine/Paediatrics
DM Neurology	6	Red (3/11	MD/DNB in Gen. Medicine/Paediatrics
DM Neuro Imaging and Interventional Neuroradiology	3	1	3	MD/DNB Radiology/ Radiodiagnosis
DM Cardiovascular Imaging and Vascular Interventional Radiology	2	1	3	MD/DNB Radiology/ Radiodiagnosis
DM Cardiothoracic & Vascular Anaesthesia	6	3	3	MD/DNB in Anaesthesia
DM Neuroanaesthesia	5	2	3	MD/DNB in Anaesthesia
MCh Cardiovascular & Thoracic Surgery	4	2	3	MS/DNB in Gen. Surgery
MCh Vascular Surgery	1	0	3	MS/DNB in Gen. Surgery
MCh Neurosurgery (After MS)	4	2	3	MS/DNB in Gen. Surgery

IMPORTANT DATES FOR THE ACADEMIC SESSION - JANUARY 2022 Admission Notification https://www.aimsexams.ac.in/pdf/INI-SS%20Prospectus%20Part-A.pdf Online application website Availability of online Application As per the prospectus, part A of INI-SS Status of Application & Rejected application with reason for rejection. Applicants are required to check status through the Registration Status of My Page after Login. Last date for submission of required documents for Regularization of Rejected Application. No Correspondence will be entertained after given date under any circumstances and candidates are requested NOT TO CONTACT the Examination Section. Last date for Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India to forward an approval regarding "No Objection" to the Foreign National. Finalization of Centres and allotment of Roll Nos/Admit Card on website. Hall ticket download Written Test through online (CBT) mode Expected date of declaration of Result (for all INIs) Commencement of courses at SCTIMST 01.01.2022 10.01.2022 Director's welcome address

DETAILS OF COURSES OFFERED IN HOSPITAL WING

1. POST-DOCTORAL COURSES

Currently, the Institute offers the following Post-doctoral courses:

DM: Cardiology, Neurology, Neuroimaging and Interventional

Neuroradiology, Cardiovascular Imaging and Vascular Interventional Radiology, Cardiothoracic & Vascular Anaesthesia,

Neuroanaesthesia.

MCh: Cardiovascular and thoracic surgery, Vascular Surgery,

Neurosurgery

Minimum Educational Qualifications Required for Admission

A. DM COURSES

DM Cardiology and DM Neurology

MD in General Medicine or Paediatrics from an Indian university recognized by erstwhile Medical Council of India (MCI) / National Medical Commission (NMC) or Diplomate of the National Board (DNB) in General Medicine/Paediatrics or any equivalent degree recognized by NMC/ erstwhile MCI.

DM Neuroimaging & Interventional Neuroradiology and DM Cardiovascular Imaging and Vascular Interventional Radiology

MD in Radiodiagnosis from an Indian university recognized by erstwhile MCI/ National Medical Commission (NMC) or Diplomate of the National Board (DNB) in Radiology/Radiodiagnosis or any equivalent degree recognized by NMC/ erstwhile MCI.

DM Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia and DM Neuroanaesthesia

MD in Anaesthesia or equivalent from an Indian university recognized by erstwhile MCI/ National Medical Commission (NMC) or Diplomate of the National Board (DNB) in Anaesthesia or any equivalent degree recognized by National Medical Council. (NMC)/ erstwhile MCI.

B. MCh COURSES

MCh Cardiovascular & Thoracic Surgery, Vascular surgery, Neurosurgery

MS in General Surgery from an Indian university recognized by erstwhile MCI/National Medical Commission (NMC) or Diplomate of the National Board in General Surgery or any equivalent degree recognized by NMC/ erstwhile MCI.

UPPER AGE LIMIT

Forty years (as on 1st January 2022). Age relaxation of five years is applicable for SC/ST candidates, sponsored candidates and for qualified Ex-service personnel with a service of not less than five years.

2. METHOD OF SELECTION

The selection of the candidates for the course is through the counseling based on the rank list of the entrance examination of the INI-SS conducted by the AIIMS, New Delhi and further verification of certificates and other credentials/documents by SCTIMST. For further details on the entrance exam, admission and selection process, please visit the following website: www.aiimsexams.ac.in

HAS. TRIVAN

SPECIAL INFORMATION

Hostel accommodation

Candidates selected (except sponsored) will be provided accommodation as per institute rules and availability. It is mandatory for Junior/Senior Residents to occupy PG Quarters/Hostel, as the case may be, once it is allotted to them. No HRA will be paid to any occupants once an eligible accommodation has been allotted to them, irrespective of whether they occupy the allotted accommodation or not. Electricity and Water charges may be levied proportionally from the inmates if they are in single/double/sharing/Family accommodation.

Course Content

The training is strictly full-time and continuous. The candidates at the time of admission will be provided with a handbook covering the syllabus, training program and the examination scheme. They should acquaint themselves with the syllabus prescribed for the course to which they are admitted. They should strictly adhere to the rules and regulations of the Institute.

Contract Service

All students and Senior Residents selected for various programs are required to execute a bond of service for a duration depending upon the length of the program. Admission will be denied to candidates who fail to join or submit the contract bond by the date stipulated in the letter of selection. Private practice in any form during the pendency of the program is strictly prohibited.

BOND TO BE EXECUTED

• All the selected residents under the general category need to furnish a bond for rupees fifty lakhs. Concerned defaulter shall be liable to pay an amount of ₹ 50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs), if decided to discontinue the course after the last date of closure of admission by INI-SS. The last date of closure of admission will be announced in the institute website (www.sctimst.ac.in) as well as it will be intimated to the candidates at the time of admission.

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of students and Senior Residents shall be fixed by the Institute from time to time and will include such clinical work as may be essential for patient care and professional training.

Medical Fitness

The selection will be provisional until the candidate is declared medically fit by a Medical Board appointed by the Institute. The candidate should declare all illness connected with his/her health and should certify that he/ she is fit to undergo the rigorous program that he/she is joining. The opinion of the Medical Board shall be final.

Commencement of Academic Session

The session commences on 1st January, 2022. Selected candidates will report on this date with all necessary original documents, the verification of which is mandatory for confirmation of admission.

Residents and students will be assessed at the end of six months after admission for their academic ability, desire for training, acquisition of competence, commitment to patient care, interpersonal relationship and so on.

Those with low scores will be given a chance to improve in the next three months and, if found unsatisfactory, the candidate's registration in SCTIMST will be terminated.

Attendance on the last working day of the course, normally **31st December** will be compulsory, except in extraordinary situations.

Please refer the syllabus and curriculum for details regarding other mandatory requirements.

Last date of admission: As per the prospectus (part A) given by INI-SS (https://www.aiimsexams.ac.in/pdf/INI-SS%20Prospectus%20Part-A.pdf)

Leave: All Sr.Residents are eligible for twenty-four days casual leave in first year and thirty days casual leave in second and third year respectively. Sr.Residents cannot avail more than 15 days of entitled leave at a stretch. Female Sr.Residents with less than two surviving children, can avail a maximum of 180 days maternity leave once during the entire course of their study and will be eligible for salary for that period.

SPONSORED CANDIDATES

Candidates will be considered as "sponsored" only when they are financially supported by the Government, Governmental agencies or Universities.

Based on the rank in the INI-SS a separate rank list of candidates applied under sponsored category for SCTIMST will be made and seat will be offered based on the sponsored rank list.

Application must be through proper channel and submit a "No Objection Certificate" from their employer along with their application forms. Government orders regarding sponsorship conditions with financial support must be submitted at the time of admission. The decision of the Institute regarding the eligibility of sponsorship shall be final.

- 1. Sponsored seats are available in all programs at SCTIMST as mentioned above.
- **2.** All eligible sponsored candidates seeking admission will have to appear in the entrance examination and go through the process of selection as envisaged for all.

- 3. International candidates may be considered as sponsored candidates if sponsored by their government/governmental agencies and found to be eligible for admission as per the Medical Council of India/National Medical Commission.
- 4. No other type of preference will be given to sponsored candidates.

Sponsored candidates are eligible for seven days Leave-on-duty for attending national conferences/workshop/seminar. They are not eligible for stipend/salary from the Institute, accommodation, HRA, medical reimbursement, travel grant, TA/DA and registration fee for conferences etc.

The number of sponsored candidates in any course will not exceed 50% of the number of seats in general quota.

FOREIGN NATIONALS

The Institute accepts foreign nationals for various courses but *there is no reservation* of seats for foreign nationals. Foreign nationals shall be considered as sponsored candidates [need to be sponsored by their government/governmental agencies and found to be eligible for admission as per the Medical Council of India/National Medical Commission (NMC)]. Admission to the program will be based on the rank list in the entrance examination. (INI-SS) They will be considered as Sponsored Category as per the rules and regulation mentioned under "Sponsored Category".

Foreign nationals are required to apply through the Indian Council of Cultural Relations & the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi. It is advised that all international students take a medical insurance policy to meet the expenses of medical treatments during course tenure at SCTIMST. A copy of the said insurance policy should be submitted at the time of the final admission.

Registration of foreign medical degree in the Travancore- Cochin Medical Council (TCMC) needs to be obtained at the time of admission.

Salary/Stipend (per month in Rupees) (Except for Sponsored candidates)

Program	Duration	Scale of pay/ Stipend in INR per month
DM & MCh	3 Years	1st year - 74000 + *
		2 nd year - 76200 + *
		3 rd year - 78500 + *

^{*} Applicable HRA, DA & DA on TA as per Institute Rules

Page **11** of **26**

FEES STRUCTURE (in Indian Rupees)

Particulars	Post-doctoral Courses (DM/MCh)	
Application fee	₹ 4250 +applicable taxes	
Admission fee	₹ 2,000	
Tuition Fee	₹ 58,000 (per year)	
Caution Deposit	₹ 10,000	
Examination Fee: Part-I	₹ 2,000	
Part-II	₹ 10,000	
Thesis Evaluation Fee	₹1500	
Identity Card	₹ 220	
Library	₹ 1,000	
Student Welfare Fund	₹ 1,000	
Certificates	₹ 1,000	
Miscellaneous Fee	₹ 10,000	
Fee will be revised by the Institute every year. Fee once paid will not be refunded		
ds. TRIVANDRUM. NO		

ANTI RAGGING AFFIDAVIT

Ragging in all its forms is prohibited in the Institute

All candidates at the time of admission to the Institute will be required to furnish an undertaking in the form of an affidavit that the candidate will not indulge in any form of ragging and, if found ragging, the Institute may take appropriate action against the erring students.

Regarding ragging the directive of Hon'ble Supreme Court will be followed strictly. It is as under: "As per direction of the Hon'ble Supreme Court of India, the Government has banned ragging completely in any form inside and outside of the campus and the Institute authorities are determined not to allow any form of the ragging. Whoever directly or indirectly commits, participates in abets or instigates ragging within or outside any educational Institution, shall be suspended, expelled or rusticated from the Institution and shall also be liable to fine which may extend to Rs. 10,000/-. The punishment may also include cancellation of admission, suspension from attending the classes, withholding/withdrawing fellowship/scholarship and other financial benefits, withholding or cancelling the result. The decision shall be taken by the Head of the Institution."

Prohibition of and Punishment for Ragging:

- 1. Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of the Institution and any part of SCTIMST and also outside SCTIMST.
- 2. Ragging for the purpose of this rules, ordinarily means any act, conduct or practice by an individual or any collective act by which dominant power or status of a senior students/residents is brought
- to bear on students/residents freshly enrolled or students/residents who are, in any way, considered junior or inferior by other students/residents which;
- i) Involve physical assault or threat or use of physical force.
- ii) Violate the status, dignity and honor of women students.
- iii) Violate the status, dignity and honor of physically disabled/transgender students.
- iv) Violate the status; dignity and honor of students/residents belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Castes.
- v) Exposes student/resident to ridicule and contempt and affect their self-esteem.

- vi) Entail verbal abuse and aggression, indecent gesture and obscene behavior.
- 3) The Dean, Associate Dean, Registrar, Hostel Warden and HoDs of SCTIMST may suo-moto enquiry into any incident of ragging and make a report to the Director of the identity of those who have engaged and the nature of the incident. The Director of SCTIMST shall take necessary action based on the report.

Any person aggrieved in this matter may fearlessly approach the Student Grievance and Redressal Committee/Anti-ragging committee/Associate Dean (Faculty and Student affairs)/ Division of Academic Affairs of SCTIMST for a fair and concerned hearing and redressal.

Anti-Ragging	Committee
Anti-Ragging	Committee

Anti-Ragg	ing committee	
1	Director	Chairman
2	HoD, Cardiology	Member
3	HoD, CVTS	Member
4	HoD, Neurology	Member
5	HoD, Neurosurgery	Member
6	HoD, Anaesthesiology	Member
7	HoD, IS&IR	Member
8	Lecturer in Nursing	Member
9	One Parent representative	Member
10	One junior student representative	Member
11	One senior student representative	Member
12	Mrs. Priya P., Administrative Officer	Member
13	AAO (Academic)	Convener

Has. TRIVANDRUM. NO



IMPORTANT CONTACT ADDRESSES

Designation	Name	Telephone No.	email-ID
Director –I/C	Dr. Ajit Kumar V.K.	91-471 - 2524400	director@sctimst.ac.in
Head BMT Wing-I/C	Dr. Harikrishna Varma P.R.	91-471 - 2520201	headbmtw@sctimst.ac.in
Dean (Academic Affairs) –I/C	Dr. Kesavadas C.	91-471 - 2524500	dean@sctimst.ac.in
Head AMCHSS	Dr. Sankara Sarma P.	91-471 - 2524232	sarma@sctimst.ac.in
Associate Dean (PhD Program)	Dr. Mohanan P.V.	91-471 - 2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
Associate Dean	Dr. Harikrishnan S.	91-471 - 2524457	drhari@sctimst.ac.in
(Research & Publication Cell)			
Associate Dean	Dr. Sylaja P.N.	91-471 - 2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
(Faculty & student affairs)			
Associate Dean	Dr. Srinivasan K.	91-471 - 2524243	ksrini@sctimst.ac.in
(Health Science Studies)			
Associate Dean (Curriculum & Examinations)	Dr. Manikandan S.	91-471 – 2524463/575	kanmanis@sctimst.ac.in
Registrar	Dr. Santhosh Kumar B.	91-471 - 2524150	reg@sctimst.ac.in
Deputy Registrar	Ms. Radha M.	91-471 - 2524140	dreg@sctimst.ac.in
Asst. Administrative Officer (Academic)	Ms. Chithra T.S.	91-471 - 2524269	regoffice@sctimst.ac.in



HEADS OF DEPARTMENTS/DIVISIONS

Dept/Divn	Head	Telephone No.	email-ID
AMCHSS	Dr. Sankara Sarma P.	91-471-2524240	sarma@sctimst.ac.in
HOSPITAL WING	0,771 (8) (7)	(D)	
Anaesthesiology	Dr. Thomas Koshy	91-471-2524641	koshy@sctimst.ac.in
Biochemistry-I/C	Dr. Srinivas G.	91-471-2524689	srinivasg@sctimst.ac.in
Division of Clinical Engineering	Er. Shaj Upendran	91-471-2524123	shaj@sctimst.ac.in
Cardiology	Dr. Krishnamoorthy K.M.	91-471-2524452	kmkm@sctimst.ac.in
Cardiovascular & Thoracic Surgery	Dr. Baiju S. Dharan	91-471-2524648	baijusd@sctimst.ac.in
Computer Division-I/C	Er. Suresh Kumar B	91-471-2524632	suresh@sctimst.ac.in
Transfusion Medicine	Dr. Debashish Gupta	91-471-2524476	dgupta@sctimst.ac.in
Microbiology	Dr. Kavita Raja	91-471-2524222	kavita_raja@sctimst.ac.i
Neurology	Dr. Sylaja P.N.	91-471-2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
Neurosurgery	Dr. Easwer H.V.	91-471-2524632	easwer@sctimst.ac.in
Nursing Education	Ms. Suja Raj L.	91-471-2524416	ins@sctimst.ac.in
Pathology-I/C	Dr. Deepti, A. N.	91-471-2524605	akkihebbal@sctimst.ac.in
Imaging Sciences and Interventional Radiology	Dr. Bejoy Thomas	91-471-2524220	kesav@sctimst.ac.in
Medical Records	Mr. Sivaprasad R.	91-471-2524415	smro@sctimst.ac.in



BIOMEDICAL TECHNOLOGY (BMT) WING

Head, BMT Wing –I/C	Dr. Harikrishna Varma P.R	0471-2520201	varma@sctimst.ac.in
Assoc. Head, BMT Wing	Er. Muraleedharan C.V.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
Department of Applied Biology	Dr. Maya Nandkumar A.	0471-	anmaya@sctimst.ac.in
		2520260/250	
Dept. of Biomaterials Sciences & Technology	Dr. Manoj Komath	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
Dept. of Medical Devices Engineering	Dr. Roy Joseph	0471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
Dept. of Technology & Quality Management	Er. Balram S.	0471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
Artificial Internal Organs	Er. Muraleedharan C.V.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
Bioceramics Laboratory 7	Dr. Manoj Komath	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
Toxicology division	Dr. Mohanan PV	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
Div. of Biophotonics and imaging	Dr. Jayasree R.S.	0471-2520273	jayasree@sctimst.ac.in
Div. of Biosurface Technology	Dr. Rekha M. R.	0471-2520214	rekhamr@sctimst.ac.in
Calibration cell	Er. Leena Joseph	0471-2520279	leenaj@sctimst.ac.in



Div. of Dental Products	Dr. Lizymol P.P.	0471-2520221	lizymol@sctimst.ac.in
Experimental Pathology	Dr. Anilkumar T.V.	0471-2520305	tvanilkumar@sctimst.ac.in
Div. of Extracorporeal Devices	Er. Nagesh D.S.	0471-2520217	nagesh@sctimst.ac.in
Implant Biology	Dr. Sabareeswaran A.	0471-2520311	asw@sctimst.acin
In-vivo Models and Testing	Dr. Umashankar P.R.	0471-2520226	umashnkr@sctimst.ac.in
Laboratory Animal Science	Dr. Harikrishnan V.S.	0471-2520227	harikrishnan@sctimst.ac .in
Medical Instrumentation	Er. Muraleedharan C.V.	0471-2524259	muralicv@sctimst.ac.in
Microbial Technology	Dr. Maya Nandkumar A.	0471- 2520260/250	anmaya@sctimst.ac.in
Division of Molecular Medicine	Dr. Anoop Kumar T.	0471- 2520256/257	anoop@sctimst.ac.in
Central Analytical Facility	Dr. Roy Joseph	0471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
Div. of Polymeric Medical Devices	Dr. Ramesh P. Dr. Roy Joseph	0471-2520225/ 265/275	rameshp@sctimst.ac .in
Precision Fabrication Facility	Er. Ramesh Babu V.	0471-2520245	ramesh@sctimst.ac.in
Sleep Disorder section	Dr. Kamalesh K Gulia	0471-2520450	kkgulia@sctimst.ac.in
Technology Business /Ti Med	Er. Balram	0471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
Thrombosis Research Unit	Dr. Anugya Bhatt	0471-2520219	anugyabhatt@sctimst.ac. in
Tissue Culture	Dr. Anil Kumar PR	0471-2520261	anilkumarpr@sctimst.ac. in
Tissue Engg. & Regenerative Technologies	Dr. Prabha D. Nair	0471-2520242	prabha@sctimst.ac.in
Toxicology	Dr. Mohanan P. V.	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
Transmission Electron Microscope	Dr. Manoj Komath	0471-2520220	manoj@sctimst.ac.in



STUDENT RESERVATION & EQUAL OPPORTUNITY CELL

1.	Associate Dean (Faculty & Student Affairs)	Liaison Officer (Ex-officio)
2.	Nodal officer for scholarships to students in the Institute	Member (Ex-officio)
3.	Dr. Roy Joseph	Scientist – G., BMT Wing - Member
4.	Dr. Biju Soman	Professor, AMCHSS – Member
5.	Dr. Unnikrishnan K.P.	Professor, Dept. of Anaesthesiology – Member
6.	Er. Ranjith G.	Engineer – E – Member
7.	Mr. Anand Kumar K.U.	Parent representative
8.	Registrar	Member
9.	Ms. Deepthy Chandran A.	Student Member
10	Dy Registrar	Convener



Students Grievance and Redressal Committee

Prof. Shrinivas V.G.	Chairman	+91-471-2520241	shri@sctimst.ac.in
Prof. Narayanan Namboodiri K.K.	Member	+91-471-2524384	kknnamboodiri@sctimst.ac.in
Dr. Krishnakumar K	Member	+91-471-2524246	kkns@sctimst.ac.in
Dr. Anoopkumar T	Member	+91-471-2520256	anoop@sctimst.ac.in
Prof. Rakhal Gaitonde	Member	+91-471-2520241	rakhal.gaitonde@sctimst.ac.in
Dr. Raviprasad Varma	Member	+91-471-2520261	rpvarma@sctimst.ac.in
Smt. Suja Raj	Member	+91-471-2520416	ins@sctimst.ac.in
Ms. Deepthi Chandran	Student Member	+91-471-2520596	deepthy@sctimst.ac.in
	To Care	1 11/10/2017	' (11 (1 D (D')

BOND FORMAT FOR Residents

ARTICLES O	F AGREEMENT,	made this	day of	Two
thousand ar	nd twenty-two l	oetween		
			son,	/daughter
of	••••		• • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••		7		
(herei	nafter called the	Senior Resi	dent) of th	ne one part and Sree
Chitra Tiruna	al Institute for Me	edical Science	es and Tec	hnology, Trivandrum
(hereinafter c	alled the Institut	e' through its	Director)	of the other part.

WHEREAS the Institute intends to admit the part of the first part as a Senior Resident for a period of three years commencing from the---day of January, 2022.

AND WHEREAS it has been agreed between the parties hereto that the Senior Resident shall serve the Institute on the terms and conditions herein contained.

NOW THESE PRESENTS witness and the parties here to respectively agree as follows:

- 2. The services of the Senior Resident may be terminated as follows:
 - (i) By the Director of the Institute without any previous notice if the

Director of the Institute is satisfied on medical evidence that the Senior Resident is unfit and is likely for a considerable period to continue unfit by the reason of ill health for the discharge of his/her duties PROVIDED ALWAYS that the decision of the Director that the Senior Resident is unfit and is likely to continue unfit, shall be conclusive and binding on him/her.

- (ii) By the Director of the Institute without any previous notice, if the Senior Resident shall be guilty of any insubordination, interference or other misconduct or any breach or nonperformance of any of the provisions of the agreement, or of any rules pertaining to the Institute, PROVIDED ALWAYS that the decision of the Director of the Institute in this behalf shall be conclusive and binding on him/her.
- (iii) By thirty days notice in writing given at any time during service under this Agreement by the Director of the Institute or its authorized officer to him/her, without cause assigned.
- PROVIDED ALWAYS that the Director of the Institute may in lieu of any notice herein provided for, give the Senior Resident a sum equivalent to the amount of his/her salary for thirty days or shorter notice than thirty days.
- 3. If the Senior Resident be suspended from duty in connection with any investigation into his/her conduct, he/she shall not be entitled to any salary during such period of suspension.
- 4. The Senior Resident shall devote his/her whole time to the duties of the said service and shall not engage, directly or indirectly, in any trade/business/occupation/or profession (including any private practice) on his/her own account and shall not (except in case of accident or sickness certified by competent medical authority) absent himself/herself from his/her said duties without having first obtained permission from the Director of the Institute or its authorized officers.
- 6. With effect fromday of......2022 the Institute shall pay the Senior Resident so long as he/she remains in the said capacity and actually performs his/her duties as aforesaid, a monthly salary as per the Institute rules.
- 7. The Senior Resident should pay the prescribed annual tuition fee on or before 31st January of subsequent academic years.

- 8. The Senior Resident shall be eligible for such concession in relation to a medical attendance and treatment as may be prescribed by the Institute.
- 9. The Senior Resident will be provided as per their entitlement, single/Double/family accommodation in the hostel. The Senior Resident shall have to abide by the rules and regulations of the hostel of the Institute where he is accommodated and shall occupy the room allotted to him / her only as a licensee. When the Institute is unable to offer eligible accommodation, HRA may be paid to such Senior Residents as per Institute Rules.
- 10. The Senior Resident shall vacate the accommodation given to him / her as aforesaid within 10 days of the expiry of the term or earlier in the event of early termination of Senior Residentship. The Director of the Institute, where such accommodation is provided, shall be entitled to take action for eviction in case the Senior Resident fails or neglects to vacate such an accommodation and delivery of peaceful possession thereof to the Director.
- 11. Besides academic working in pursuance of studies he/she shall carry out all the duties and responsibilities required of him/her to be performed as assigned by the Head of the Department/Units where he/she will be placed in the discharge of patient care and maintenance of records and such other clinical and technical duties as may be assigned to him/her by the aforesaid authorities from time to time in the interest of efficient patient care and running of the hospital. The decision of Director

of the Institute as to whether the Senior Resident has satisfactorily carried out all the duties and responsibilities aforesaid shall be final and binding on the Junior Resident.

- 12. The working hours of the Senior Resident will not normally exceed continuous duty for more than twelve hours in a day, subject to such exigencies as may arise in the working of the Department (Units/Wards) where he/she may be placed and in this respect also the decision of the Director of the Institute shall be final and binding on the Senior Resident.
 - 13. The Senior Resident shall be liable to be on call and stay duties, which shall not normally exceed 12 hours at a time.
 - 14. During the term he/she shall be entitled to leave as per the rules of the Institute.
 - 15. The Senior Resident shall not be allowed to apply for a job position / assignment elsewhere during the course of his/her studies and such application shall not be forwarded during the validity of the agreement.

- 16. The Senior Resident shall not be issued certificate/testimonial of any kind bearing evidence of satisfactory work, experience, performance etc. in case of discontinuation of his/her studies.
- 17. Ragging in any form is prohibited in the Institute and those found resorting to ragging of fellow Senior Residents and if found guilty will be dismissed from the Institute. I have read this note and abide by it.

IN WITNESS WHERE OF the Senior Resident and the Dean of the Institute for and on behalf of the Institute have here to set their hands the day and year first herein above written.

Surety terms

Signed by (in block letters) in the presence of witnesses.

(Name and Signature of the Senior Resident)

Signature of Witness with Name & Address

1.

2.

DEAN (Academic Affairs)

For and on behalf of SCTIMST, Thiruvananthapuram.

ANNEXURE - II


I undertake to complete the said course as per the requirements of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology. In the event of my leaving the studies, an amount of ₹.50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs) if decided to leave on or after the second day of joining.

Date:

Signature of the Candidate

Signed in the presence of Witnesses: (Name & Address)

1. Signature



DISCLAIMER

While every effort has been made to ensure the accuracy of this information at the time of publication, addition, updates, alterations and changes in circumstances may occur between the time of publication and the time the user views the information. The Institute advises users to verify the accuracy and completeness of the information with the Academic Division in case of any doubt (0471-2524269).



श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम

केरल- 695 011, भारत

(एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार)

SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM

KERALA -695011, INDIA

(An institution of National importance, Department of Science and Technology, Govt. of India)

विवरण पत्रिका PROSPECTUS

शैक्षणिक कार्यक्रम

ACADEMIC PROGRAM

(डीएम/एमसीएच) (DM/MCh)

सत्र –जनवरी 2022 SESSION–January 2022

www.sctimst.ac.in



विषय सूची	पृष्ठ संख्या
भूमिका	03
सत्र 2022 केलिए प्रस्ताव पर कार्यक्रम	04
पोस्ट-डॉक्टरल कार्यक्रमः सीटों की संख्या, अवधि, पात्रता	05
प्रवेश की महत्वपूर्ण तिथियां/ परीक्षा की अनुसूची	06
वेतन	11
शुल्क संरचना	12
महत्वपूर्ण संपर्क पते	15
7A/VANDRUBIT	001

The state of the s

भूमिका

चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी) संसद के एक अधिनियम (1980 का अधिनियम 52) द्वारा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक विश्वविद्यालय की स्थिति के साथ राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। चार दशक से भी पहले संस्थान ने जिस चिकित्सा और प्रौद्योगिकी की संयुक्त संस्कृति का बीड़ा उठाया है, वह पुरानी हो गई है और भारत में अभूतपूर्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। संस्थान चिकित्सा विशिष्टताओं और सामाजिक प्रासंगिकता के स्वास्थ्य अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता, चिकित्सा उपकरणों और औद्योगिक महत्व की प्रौद्योगिकी के विकास में उन्नत सुपर स्पेशियलिटी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। देश में कम आसानी से उपलब्ध गतिविधियों जैसे कि इंटरवेन्शनल रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल स्ट्रोककेयर, हृदयवक्ष एवं और वाहिनी शल्यचिकित्सा, मिर्गी के लिए शल्यचिकित्सा, माइक्रो न्यूरोसर्जरी, संचालन अनिमयतता के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, नए जैवचिकित्सकीय उपकरणों और उत्पादों के विकास, वैश्विक विशिष्टताओं, नए शैक्षणिक कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा उपकरणों का मुल्यांकन आदि पर जोर दिया गया है।।

संस्थान के तीन स्कंध हैं- अस्पताल स्कंध, जैवचिकित्सकीय प्रौद्योगिकी स्कंध और अच्युत मेनोन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केंद्र। इन स्कंधों में उत्कृष्ट शोध और सीखने के अवसर उपलब्ध हैं। संस्थान में चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और इंजिनियरों की एक समर्पित दल है जो उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा अनुसंधान, जैव चिकित्सा अनुसंधान और तकनीकी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समर्पित है।

संस्थान के उद्देश्य हैं:

- जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- उन्नत चिकित्सा विशिष्टताओं में रोगी देखभाल के उच्च मानकों को प्रदान करना और प्रदर्शित करना।
- उन्नत चिकित्सा विशिष्टताओं और जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी में उच्चतम गुणवत्ता के अभिनव स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।
- अनुसंधान, प्रशिक्षण और हस्तक्षेप के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों में भाग लेना।

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1980 संस्थान को चिकित्सा विज्ञान और जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करने का अधिकार देता है और यह निर्धारित करता है कि संस्थान द्वारा दी गई चिकित्सा डिग्री और डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी और उन्हें उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल समझा जाएगा।



	पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम	
1.	डीएम हृदयविज्ञान	
2.	डीएम तंत्रिका विज्ञान	The same
3.	डीएम न्यूरोइमेजिंग और हस्तक्षेप न्यूरोरेडियोलॉजी	Z. W
4.	डीएम हृदयवाहिनी इमेजिंग और वाहिनी हस्तक्षेप रेडियोलॉजी	121
5.	डीएम हृदयवक्ष एवं वाहिनी हस्तक्षेप रेडियोलॉजी	151
6.	डीएम तंत्रिका विसंज्ञन	15
7.	एमसीएच हृदयवाहिनी और वक्ष शल्यचिकित्सा	15
8.	एमसीएच तंत्रिका शल्यचिकित्सा (एमएस के बाद)	121
9.	एमसीएच वाहिनी शल्यचिकित्सा	1911
		T //



पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमः सीटों की संख्या, अवधि और पात्रता

कार्यक्रम	मीटों र्व	ो संख्या	अवधि	आवश्यक योग्यता
नव अग्रत्य	साटा न	ग राज्या		जायरयम् याप्यसा
	सामान्य	प्रायोजित	(साल)	
	कोटा	कोटा		
डीएम हृदयविज्ञान	6	3	3	 सामान्य चिकित्साबालचिकित्सा /
अाएन हृदयायशान	0	3	3	
				डीएनबी/में एमडी
डीएम तंत्रिका विज्ञान	6	3	3	सामान्य चिकित्साबालचिकित्सा /
				डीएनबी/में एमडी
डीएम न्यूरो इमेजिंग और	3	1	3	एमडीडीएनबी /
हस्तक्षेप न्यूरो रेडियोलजी				रेडियोडायगनोसिस/रोडियोलजी
6.441 7.4.42				
		4	0	
डीएम हृदयवाहिनी इमेजिंग और	2	1	3	एमडीडीएनबी /
वाहिनी हस्तक्षेप रेडियोलॉजी				रेडियोडायगनोसिस/रोडियोलजी
डीएम हृदयवक्ष एवं वाहिनी	6	3	3	विसंज्ञन में एमडीडीएनबी/
विसंज्ञन				
डीएम तंत्रिका विसंज्ञन	5	2	3	विसंज्ञन में एमडीडीएनबी/
		_	ŭ	114411713131711
एमसीएच हृदयवाहिनी और वक्ष	4	2	3	सामान्य शल्यचिकित्सा में
शल्यचिकित्सा				एमएसडीएनबी/
एमसीएच वाहिनी शल्यचिकित्सा	1	0	3	सामान्य शल्यचिकित्सा में
				एमएसडीएनबी/
) ,) ,, = ,) , , , ,
गागीगच वंबिका शब्याचिकिता	4	2	3	सामान्य शल्यचिकित्सा में
एमसीएच तंत्रिका शल्यचिकित्सा	4	2	3	
(एमएस के बाद)				एमएसडीएनबी/



शैक्षणिक सत्र- जनवरी 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां	
प्रवेश अधिसूचना	pdf)
ऑनलाइन आवेदन केलिए वेबसाईट	art-A.
ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता	अनुसार s%20F
आवेदन की स्थिति और अस्वीकृत आवेदन, अस्वीकृत के कारण सहित। आवेदकों को लॉगिन के बाद माई पेज के पंजीकरण की स्थिति के माध्यम से स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है।	T (भाग-1) के Prospectu
अस्वीकृत आवेदन के नियमितीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि। किसी भी परिस्थिति में दी गई तिथि के बाद किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे परीक्षा अनुभाग से संपर्क न करें।	आईएनआई-एसएस द्वारा दिए गए विवरणिका (भाग-1) के अनुसार (https://www.aiimsexams.ac.in/pdf/INI-SS%20Prospectus%20Part-A.pdf)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के लिए विदेशी नागरिक को "अनापत्ति" के संबंध में एक अनुमोदन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि।	द्वारा दिए .ac.in/pc
केंद्र को अंतिम रूप देना और वेबसाईट पर रोल नंबर/प्रवेश कार्ड का आवंटन।	-एसएस exams.
हॉल टिकट डाउनलोड	रूपनआई .aiims
<u>ऑनलाइन (सीबीटी) तरीके</u> के माध्यम से लिखित परीक्षा	आई ://www
परिणाम घोषित होने की अपेक्षित तिथि (सभी आईएनआईस केलिए)	(https
एससीटीआईएमएसटी में पाठ्यक्रमों का शुरुआत	01.01.2022
निदेशक का स्वागत	10.01.2022



अस्पताल स्कंध में दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों का विवरण

1. पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम

वर्तमान में, संस्थान निम्नलिखित पोस्ट-डॉक्टरल पाठ्यक्रम प्रदान करता है:

डीएम: हृदयिवज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोइमेजिंग और हस्तक्षेप न्यूरोरेडियोलॉजी, हृदयवाहिनी इमेजिंग और वाहिनी हस्तक्षेप रेडियोलॉजी, हृदयवक्ष एवं वाहिनी विसंज्ञन, तंत्रिका विसंज्ञन।

एमसीएच: हृदयवाहिनी और वक्ष शल्यचिकित्सा, वाहिनी शल्यचिकित्सा, तंत्रिका शल्यचिकित्सा प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

क. डीएम पाठ्यक्रम

डीएम हृदयविज्ञान और डीएम तंत्रिका विज्ञान

भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)/ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से सामान्य चिकित्सा या बाल रोग में एमडी या जनरल मेडिसिन/पीडियाट्रिक्स में नेशनल बोर्ड (डीएनबी) के डिप्लोमेट या एनएमसी/पूर्व एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष डिग्री। डीएम न्यूरोइमेजिंग और हस्तक्षेप न्यूरोरेडियोलॉजी और डीएम हृदयवाहिनी इमेजिंग और वाहिनी हस्तक्षेप रेडियोलॉजी

पूर्व एमसीआई/ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से रेडियोडायग्नोसिस में एमडी या रेडियोलॉजी / रेडियोडायग्नोसिस में राष्ट्रीय बोर्ड (डीएनबी) के डिप्लोमेट या एनएमसी/पूर्व एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष डिग्री।

डीएम हृदयवक्ष एवं वाहिनी विसंज्ञन और डीएम तंत्रिका विसंज्ञन

विसंज्ञन में एमडी या तत्कालीन एमसीआई/ राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से समकक्ष या विसंज्ञन में राष्ट्रीय बोर्ड (डीएनबी) का डिप्लोमेट या राष्ट्रिय मेडिकल काउंसिल (एनएमसी)/तत्कालीन एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री।



ख. एमसीएच पाठ्यक्रम

एमसीएच हृदयवाहिनी और वक्ष शल्यचिकित्सा, वाहिनी शल्यचिकित्सा, तंत्रिका शल्यचिकित्सा तत्कालीन एमसीआई/ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सामान्य शल्यचिकित्सा में एमएस. या सामान्य शल्यचिकित्सा में राष्ट्रीय बोर्ड के डिप्लोमेट या एनएमसी/पूर्व एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष डिग्री।

ऊपरी आयु सीमा

चालीस वर्ष (1 जनवरी 2022 को), अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए और पांच साल से कम की सेवा के साथ योग्य भूतपूर्व सेवा कर्मियों के लिए पांच वर्ष की छूट।

2. चयन की विधि

पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन एम्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईएनआई-एसएस की प्रवेश परीक्षा की रैंक सूची और एससीटीआईएमएसटी द्वारा प्रमाण पत्रों और अन्य क्रेडेंशियल्स तथा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर परामर्श के माध्यम से होगा। प्रवेश परीक्षा, चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट देखें: www.aiimsexams.ac.in



विशेष जानकारी

छात्रावास आवास

चयनित उम्मीदवारों (प्रायोजित को छोड़कर) को नियमों और उपलब्धता के अनुसार आवास प्रदान किया जाएगा। किनष्ठ/विरष्ठ निवासियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक बार आवंटित होने के बाद पीजी क्वार्टर्स/ छात्रावास में रहे। एक बार पात्र आवास आवंटित हो जाने के बाद किसी भी रहने वालों को कोई एचआरए का भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही वे आवंटित आवास पर कब्जा करते हों या नहीं। बिजली और पानी के शुल्कों पर आनुपातिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है यदि वे सिंगल/डबल/शेयरिंग/पारिवारिक आवास में हैं।

अध्ययन विषयवस्तु

प्रशिक्षण सख्ती से पूर्णकालिक और निरंतर है। प्रवेश के समय उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और परीक्षा योजना को कवर करने वाली एक पुस्तिका प्रदान की जाएगी। उन्हें जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, उसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से परिचित होना चाहिए। उन्हें संस्थान के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

अनुबंध सेवा

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चुने गए सभी छात्रों और विरष्ठ निवासियों को कार्यक्रम की लंबाई के आधार पर एक अविध के लिए सेवा के बंधन को निष्पादित करना आवश्यक है। चयन पत्र में निर्धारित तिथि तक अनुबंध बांड में शामिल होने या जमा करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के लंबित रहने के दौरान किसी भी रूप में निजी प्रैक्टिस सख्त वर्जित है।

निष्पादित होने के लिए बॉन्ड

• सामान्य श्रेणी के तहत सभी चयनित निवासियों को पचास लाख रुपये का बांड प्रस्तुत करना होगा। संबंधित चूककर्ता ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि आईएनआई-सीईटी द्वारा प्रवेश बंद करने की अंतिम तिथि के बाद पाठ्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया जाता है। प्रवेश बंद करने की अंतिम तिथि संस्थान की वेबसाइट (www.sctimst.ac.in) पर घोषित की जाएगी और साथ ही प्रवेश के समय उम्मीदवारों को इसकी सूचना दी जाएगी।

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

छात्रों और वरिष्ठ निवासियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी और इसमें ऐसे नैदानिक कार्य शामिल होंगे जो रोगी देखभाल और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य

चयन तब तक अनंतिम होगा जब तक कि संस्थान द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को चिकित्सकीय



रूप से फिट घोषित नहीं किया जाता है। उम्मीदवार को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी बीमारियों की घोषणा

करनी चाहिए और यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह जिस कठोर कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, उसे पूरा करने के लिए वह फिट है। मेडिकल बोर्ड की राय अंतिम होगी।

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत

सत्र 1 जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है। चयनित उम्मीदवार इस तिथि को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करेंगे, जिसका सत्यापन प्रवेश की पृष्टि के लिए अनिवार्य है।

निवासियों और छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता, प्रशिक्षण की इच्छा, योग्यता का अधिग्रहण, रोगी देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध और जल्द ही प्रवेश के बाद छह महीने के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा।

कम अंक पाने वालों को अगले तीन महीनों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और असंतोषजनक पाए जाने पर एससीटीआईएमएसटी में उम्मीदवार का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, पाठ्यक्रम के अंतिम कार्य दिवस पर सामान्यत: 31 दिसंबर को उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के विवरण के लिए कृपया पाठ्यक्रम देखें।

प्रवेश का अंतिम तारीख: आईएनआई-एसएस द्वारा दिए गए विवरणिका (भाग-1) के अनुसार

(https://www.aiimsexams.ac.in/pdf/INI-SS%20Prospectus%20Part-A.pdf)

खुट्टीः सभी वरिष्ठ निवासी पहले वर्ष में चौबीस दिन के आकस्मिक अवकाश और दूसरे और तीसरे वर्ष में तीस दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र हैं। वरिष्ठ निवासी एक बार में 15 दिनों से अधिक के हकदार अवकाश का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला वरिष्ठ निवासी अपने अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार अधिकतम 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती हैं और उस अवधि के लिए वेतन के लिए पात्र होंगी।

प्रायोजित उम्मीदवार

उम्मीदवारों को "प्रायोजित" के रूप में तभी माना जाएगा जब उन्हें सरकार, विश्वविद्यालयों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित किया जाएगा।

आईएनआई-एसएस में रैंक के आधार पर एससीटीआईएमएसटी के लिए प्रायोजित श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की एक अलग रैंक सूची बनाई जाएगी और प्रायोजित रैंक सूची के आधार पर सीट की पेशकश की जाएगी।

आवेदन उचित माध्यम से होना चाहिए और अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जमा करना चाहिए। प्रवेश के समय वित्तीय सहायता के साथ प्रायोजन शर्तों के संबंध में सरकारी आदेश प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रायोजन की पात्रता के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

1. एससीटीआईएमएसटी के सभी कार्यक्रमों में प्रायोजित सीटें उपलब्ध हैं।



- प्रवेश पाने के इच्छुक सभी पात्र प्रायोजित उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा और सभी के लिए परिकल्पित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- 3. अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों को प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है यदि उनकी सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित किया जाता है और भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार प्रवेश के लिए योग्य पाया जाता है।
- 4. प्रायोजित उम्मीदवारों को किसी अन्य प्रकार की वरीयता नहीं दी जाएगी।

प्रायोजित उम्मीदवार राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठी में भाग लेने के लिए सात दिनों के अवकाश के लिए पात्र हैं। वे संस्थान से वजीफा/वेतन, आवास, एचआरए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा अनुदान, टीए/डीए और सम्मेलनों के लिए पंजीकरण शुल्क आदि के लिए पात्र नहीं हैं।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रायोजित उम्मीदवारों की संख्या सामान्य कोटे की सीटों की संख्या के 50% से अधिक नहीं होगी।

विदेशी नागरिकों

संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी नागरिकों को स्वीकार करता है लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा [उनकी सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित होने की आवश्यकता है और भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र पाए गए हैं]। कार्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में रैंक सूची के आधार पर होगा। (आईएनआई-एसएस) "प्रायोजित श्रेणी" के तहत उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार उन्हें प्रायोजित श्रेणी के रूप में माना जाएगा।

विदेशी नागरिकों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्र एससीटीआईएमएसटी में पाठ्यक्रम अविध के दौरान चिकित्सा उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी लें। उक्त बीमा पॉलिसी की एक प्रति अंतिम प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए।

त्रावणकोर-कोचीन मेडिकल काउंसिल (टीसीएमसी) में विदेशी मेडिकल **डिग्री का पंजीकरण** प्रवेश के समय प्राप्त करने की आवश्यकता है।

वेतन/ वजीफ़ा (प्रति माह रुपय में) (प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर)

कार्यक्रम	अवधि	वेतनमान/प्रतिमाह आईएनआर में वजीफा
डीएम और एमसीएच	3 साल	पहले साल- 74000+*
		दूसरे साल- 76200+*
		तीसरे साल- 78500+*

*संस्थान के नियमों के अनुसार लागू एचआरए, डीए और डीए पर टीए।



शल्क संरचना ((भारतीय रुपये में)
-3	

ब्यौरे	पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम (डीएम/एमसीएच)		
आवेदन शुल्क	₹ 4240+ लागू टाक्सस		
प्रवेश शुल्क	₹ 2,000		
शिक्षा शुल्क	₹ 58,000(प्रति वर्ष)		
सावधानी जमा	₹ 10,000		
परीक्षा शुल्कः भाग-I	₹ 2,000		
भाग-॥	₹ 10,000#		
शोध मूल्यांकन शुल्क	₹ 1500		
पहचान कार्ड	₹ 220		
पुस्तकालय	₹ 1,000		
छात्र कल्याण कोष	₹ 1,000		
प्रमाणपत्र	₹ 1,000		
विविध शूल्क	₹ 10,000		

संस्थान द्वारा हर साल शुल्क में संशोधन किया जाएगा। <u>एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस</u> नहीं किया जाएगा

रैगिंग विरोधी शपद पत्र



संस्थान में सभी रूपों में रैगिंग प्रतिबंधित है

संस्थान में प्रवेश के समय सभी उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र के रूप में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की रैगिंग में शामिल नहीं होगा और यदि रैगिंग पाया जाता है, तो संस्थान गलती करने वाले छात्रों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।

रैगिंग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह निम्नानुसार है: "भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, सरकार ने संस्थान के परिसर के अंदर और बाहर किसी भी रूप में रैगिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और संस्थान के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की रैगिंग की अनुमित नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्प किया है। जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शैक्षणिक संस्थान के भीतर या बाहर रैगिंग में भाग लेता है या उकसाता है, उसे संस्थान से निलंबित या निष्कासित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो रुपये 10,000/- तक हो सकता है। सजा में कक्षाओं में भाग लेने से, प्रवेश निलंबन को रद्द करना, फेलोशिप/छात्रावृत्ति और अन्य वित्तीय लाभों को रोकना/वापस लेना, परिणाम को रोकना या रद्द करना शामिल हो सकता है। निर्णय संस्थान के प्रधान द्वारा लिया जाएगा"।

रैगिंग का निषेध और दंड:

- 1. संस्थान के परिसर में और एससीटीआईएमएसटी के किसी भी भाग में और एससीटीआईएमएसटी के बाहर किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है।
- 2. इस नियम के प्रयोजन के लिए रेगिंग का अर्थ साधारणतया किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य, आचरण या व्यवहार या कोई सामूहिक कार्य है जिसके द्वारा विष्ठ छात्रों/निवासियों की प्रमूख शक्ति या स्थिति लाई जाती है।
- नए नामांकित छात्रों/निवासियों या ऐसे छात्रों/निवासियों को सहन करना, जिन्हें किसी भी तरह से अन्य छात्रों/निवासियों द्वारा कनिष्ठ या निम्न माना जाता है;
 - i) शारीरिक हमला या धमकी या शारीरिक बल का प्रयोग शामिल है।
 - ii) छात्राओं की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।
 - iii) स्थिति का उल्लंघन करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों/निवासियों की गरिमा और सम्मान।
 - iv) छात्र/निवासी का उपहास और अवमानना करना और उनके आत्म-सम्मान को प्रभावित करना।



- v) मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अभद्र हावभाव और अशलील व्यवहार को शामिल करें।
- 3) एससीटीआईएमएसटी के संकायाध्यक्ष, सह संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, छात्रावास वार्डन और विभागाध्यक्ष रैगिंग की किसी भी घटना की जांच कर सकते हैं और निदेशक को रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसमें शामिल लोगों की पहचान और घटना की प्रकृति क्या है। एससीटीआईएमएसटी के निदेशक रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इस मामले से पीड़ित **कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष और संबंधित सुनवाई और निवारण के लि**ए निडर होकर छात्र शिकायत और निवारण समिति/ रैगिंग-विरोधी समिति/सह संकायाध्यक्ष(संकाय एवं छात्र कार्य)/ एससीटीआईएमएसटी के शैक्षणिक कार्य प्रभाग से संपर्क कर सकता है।

रैगिंग-विरोधी समिति

रागग-।वराव	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
1	निदेशक	अध्यक्ष
2	विभागाध्यक्ष, हृदयविज्ञान	सदस्य
3	विभागाध्यक्ष, सीवीटीएस	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष, तंत्रिकाविज्ञान	सदस्य
5	विभागाध्यक्ष, तंत्रिका शल्यचिकित्सा	सदस्य
6	विभागाध्यक्ष, विसंज्ञन विज्ञान	सदस्य
7	विभागाध्यक्ष, आईएस & आईआर	सदस्य
8	नर्सिंग में व्याख्याता	सदस्य
9	एक अभिभावक प्रतिनिधि	सदस्य
10	एक कनिष्ठ छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
11	एक वरिष्ठ छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
	सुश्री. प्रिया पी., प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
13	सहा प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक)	संयोजक

महत्वपूर्ण संपर्क पते



पद	नाम	दूरभाष सं.	ईमेल-आईडी
निदेशक-प्रभारी	डॉ अजित कुमार वी.के.	91-471-2524400	director@sctimst.ac.in
प्रधान-बीएमटी स्कंध	डॉ हरिकृष्ण वर्मा पी.आर.	91-471-2520201	headbmtw@sctimst.ac.in
संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक कार्य)-प्रभारी	डॉ केशवदास सी.	91-471-2524500	dean@sctimst.ac.in
प्रधान एएमसीएचएसएस	डॉ शंकरा शर्मा पी.	91-471-2524232	sarma@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (पीएचडी कार्यक्रम)	डॉ मोहनन पी.वी.	91-471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ)	डॉ हरिकृष्णन एस.	91-471 - 2524457	drhari@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (संकाय एवं छात्र कार्य)	डॉ शैलजा पी एन.	91-471 - 2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन)	डॉ श्रीन्वासन के.	91-471 - 2524243	ksrini@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (पाठ्यक्रम & परीक्षा)	डॉ मणिकण्ठन एस.	91-471- 2524463/575	kanmanis@sctimst.ac.in
कुलसचिव	डॉ सन्तोष कुमार बी.	91-471 - 2524150	reg@sctimst.ac.in
उप कुलसचिव	सुश्री राधा एम	91-471 - 2524140	dreg@sctimst.ac.in
सहा प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक)	सुश्री चित्रा टी.एस.	91-471 - 2524269	regoffice@sctimst.ac.in



विभग/प्रभाग के प्रधान

विभाग/प्रभाग	प्रधान	दूरभाष सं.	ईमेल-आईडी
एएमसीएचएसएस	डॉ शंकरा शर्मा पी.	91-471-2524240	sarma@sctimst.ac.in
अस्पताल स्कंध	(10% 79 YB)	O. 1865 M.	
विसंज्ञन विज्ञान	डॉ थॉमस कोशि	91-471-2524641	koshy@sctimst.ac.in
जैवरसायन-प्रभारी	डॉ श्रीनिवास जी.	91-471-2524689	srinivasg@sctimst.ac.in
नैदानिक अभियंत्रिकी प्रभाग	इ. षाज उपेन्द्रन	91-471-2524123	shaj@sctimst.ac.in
हृदयविज्ञान	डॉ कृष्णमूर्ती के एम.	91-471-2524452	kmkm@sctimst.ac.in
हृदयवाहिनी और वक्ष शल्यचिकित्सा	डॉ बैजू एस. धरन	91-471-2524648	baijusd@sctimst.ac.in
संगणक प्रभाग-प्रभारी	इं. सुरेष कुमार बी	91-471-2524632	suresh@sctimst.ac.in
आधान चिकित्सा	डाँ देबाशिष गुप्ता	91-471-2524476	dgupta@sctimst.ac.in
सूक्ष्मजीवविज्ञान	डॉ कविता राजा	91-471-2524222	kavita_raja@sctimst.ac.i
तंत्रिका विज्ञान	डॉ शैलजा पी.एन.	91-471-2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
तंत्रिका शल्यचिकित्सा	डॉ ईश्वर एच.वी	91-471-2524632	easwer@sctimst.ac.in
नर्सिंग शिक्षा	सुश्री सुजा राज एल.	91-471-2524416	ins@sctimst.ac.in
पैथोलॉजी- प्रभारी	डॉ दीप्ति ए.एन	91-471-2524605	akkihebbal@sctimst.ac.in
इमेजिंग विज्ञान और हस्तक्षेप रेडियोलॉजी	डॉ बिजोय थॉमस	91-471-2524220	kesav@sctimst.ac.in
चिकित्सा अभिलेख	श्री शिवप्रसाद आर.	91-471-2524415	smro@sctimst.ac.in





डाँ हरिकृष्ण वर्मा पी.आर.	0471-2520201	varma@sctimst.ac.in
इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
डॉ माया नन्दकुमार ए.	0471- 2520260/250	anmaya@sctimst.ac.in
डाँ मनोज कोमत्त	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
डॉ रॉय जोसफ	0471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
इ. बलराम एस.	0471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
डॉ मोहनन पी.वी.	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
डॉ जयश्री आर.एस.	0471-2520273	jayasree@sctimst.ac.in
डॉ रेखा एम.आर.	0471-2520214	rekhamr@sctimst.ac.in
इं. लीना जोसफ	0471-2520279	leenaj@sctimst.ac.in
	इं. मुरलीधरन सी.वी. डॉ माया नन्दकुमार ए. डॉ मनोज कोमत्त डॉ रॉय जोसफ इ. बलराम एस. इं. मुरलीधरन सी.वी. डॉ मनोज कोमत्त डॉ मोहनन पी.वी. डॉ जयश्री आर.एस.	इं. मुरलीधरन सी.वी.0471-2520259डॉ माया नन्दकुमार ए.0471-2520260/250डॉ मनोज कोमत्त0471-2520320डॉ रॉय जोसफ0471-2520275इ. बलराम एस.0471-2520308इं. मुरलीधरन सी.वी.0471-2520259डॉ मनोज कोमत्त0471-2520320डॉ मोहनन पी.वी.0471-2520266डॉ जयश्री आर.एस.0471-2520273डॉ रेखा एम.आर.0471-2520214



दंत चिकित्सा उत्पादों का प्रभाग	डॉ लिसिमोल पी.पी.	0471-2520221	lizymol@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी पैथोलॉजी	डॉ अनिलकुमार टी.वी.	0471-2520305	tvanilkumar@sctimst.ac.in
एक्स्ट्राकोर्पोरियल उपकरणों का प्रभाग	इं.नागेश डी.एस.	0471-2520217	nagesh@sctimst.ac.in
प्रत्यारोपण जीवविज्ञान	डॉ शबरीश्वरन ए.	0471-2520311	asw@sctimst.acin
इन विवो मोडलस और टेस्टिंग	डॉ उमाशंकर पी.आर.	0471-2520226	umashnkr@sctimst.ac.in
प्रयोगशाला पशु विज्ञान	डॉ हरिकृष्णन वी.एस.	0471-2520227	harikrishnan@sctimst.ac.in
चिकित्सा उपकरण	इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2524259	muralicv@sctimst.ac.in
सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी	डॉ माया नन्दकुमार ए.	0471-2520260/250	anmaya@sctimst.ac.in
आणविक चिकित्सा विभाग	डॉ अनूप कुमार टी.	0471-2520256/257	anoop@sctimst.ac.in
केंद्रीय विश्लेषणात्मक सुविधा	डॉ रॉय जोसफ	0471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
पॉलिमेरिक चिकित्सा उपकरणों का प्रभाग	डॉ रमेश पी. डॉ रॉय जोसफ	0471-2520225/ 265/275	rameshp@sctimst.ac.in
सटीक निर्माण सुविधा	इं. रमेश बाबु वी.	0471-2520245	ramesh@sctimst.ac.in
निद्रा विकार खंड	डॉ कमलेश के गुलिया	0471-2520450	kkgulia@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी व्यवसाय/टीआई मेड	इं. बलराम	0471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
घनास्त्रता अनुसंधान इकाई	डॉ अनुज्ञा भट्ट	0471-2520219	anugyabhatt@sctimst.ac.in
ऊतक संवर्धन	डॉ अनिलकुमार पी.आर.	0471-2520261	anilkumarpr@sctimst.ac.in
ऊतक अभियंत्रिकी और पुनर्योजी प्रौद्योगिकी	डॉ प्रभा डी. नायर	0471-2520242	prabha@sctimst.ac.in
विष विज्ञान	डॉ मोहनन पी.वी.	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
इलेक्ट्रन सम्प्रेषित दूरदर्शी	डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520220	manoj@sctimst.ac.in



छात्र आरक्षण और समान अवसर प्रकोष्ठ

1.	सह संकायाध्यक्ष (संकाय एवं छात्र कार्य)	संपर्क अधिकारी (पदेन)
2.	संस्थान में छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए नोडल अधिकारी	सदस्य (पदेन)
3.	डॉ रॉय जोसफ	वैज्ञानिक जी., बीएमटी स्कंध-सदस्य
4.	डॉ बिजू सोमन	प्राचार्य-एएमसीएचएसएस-सदस्य
5.	डॉ उण्णिकृष्णन के पी.	प्राचार्य-विसंज्ञनविज्ञान विभाग-सदस्य
6.	इं रंजित जी.	इंजिनीयर-ई-सदस्य
7.	श्री आनंदकुमार के.यू.	अभिभावक प्रतिनिधि
8.	कुलसचिव	सदस्य
9.	सुश्री दीप्ति चन्द्रन	छात्र सदस्य
10	उप कुलसचिव	संयोजक



छात्र शिकायत और निवारण समिति

n	shri@sctimst.ac.in	+91-471-2520241	अध्यक्ष		प्रेफ. श्रीनिवास वी.जी
sctimst.ac.in	kknnamboodiri@sctimst	+91-471-2524384	सदस्य	र के.के.	प्रोफ. नारायण् नम्बूतिरि के.वे
in.in	kkns@sctimst.ac.in	+91-471-2524246	सदस्य	11/10	डॉ कृष्णकुमार के.
ic.in	anoop@sctimst.ac.in	+91-471-2520256	सदस्य	11 15 1	डॉ अनूपकुमार टी.
vsctimst.ac.in	rakhal.gaitonde@sctims	+91-471-2520241	सदस्य	11 22 /	प्रोफ. राखाल गायतोंडे
t.ac.in	rpvarma@sctimst.ac.in	+91-471-2520261	सदस्य	118/	डॉ रविप्रसाद वर्मा
n	ins@sctimst.ac.in	+91-471-2520416	सदस्य	1/2/10	श्रीमती सुजा राज
ac.in	deepthy@sctimst.ac.in	+91-471-2520596	छात्र सदस्य	15/6	सुश्री दीप्ति चन्द्रन
-	deepthy@sctimst	+91-471-2520596	छात्र सदस्य	131 5	सुश्री दीप्ति चन्द्रन

स्कंध का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छात्र सदस्य जहां शिकायत हुई है, संकायाध्यक्ष/निदेशक द्वारा नामित किया जाना है।



अनुलग्नक- I

निवासियों केलिए बॉड फोर्मैंट
समझौते के लेख, दो हज़ार बाईस के इस दिन कोबीच बनाया(जिसे इसके बाद वरिष्ठ के पुत्र/पुत्री केबीच बनाया(जिसे इसके बाद वरिष्ठ निवासी कहा जाता है) एक हिस्से और दूसरे हिस्से का श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान औ र प्रौद्योगिकी संस्थान , त्रिवेंद्रम (इसके बाद इसके निदेशक के माध्यम से संस्थान कहा जाता है।
जबिक संस्थान जनवरी 2022 के दिन से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए किनष्ठ निवासी के रूप में पहले भाग के हिस्से को स्वीकार करने का इरादा रखता है।
और इसके पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि किनष्ठ निवासी यहां निहित नियमों और ओर शर्तों पर संस्थान की सेवा करेगा। अब ये गवाह प्रस्तुत करते हैं और इसके पक्षकार क्रमशः इस प्रकार सहमत होते हैं: 1. वरिष्ठ निवासी संस्थान और अधिकारियों आदेशों के लिए खुद को प्रस्तुत करेगा, जिनके तहत उन्हें समय-समय पर निदेशक, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में रखा जा सकता है वरिष्ठ निवासी की



- 2. वरिष्ठ निवासी की सेवाएं निम्नानुसार समाप्त की जा सकती हैं:
 - (i) संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि
 - संस्थान के निदेशक चिकित्सा साक्ष्य पर संतुष्ट हैं कि वरिष्ठ निवासी अयोग्य है और अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए अस्वस्थता के कारण काफी समय तक अनुपयुक्त रहने की संभावना है, बशर्ते कि निदेशक का निर्णय कि वरिष्ठ निवासी अनिफट है और उसके अनिफट रहने की संभावना है, वह निर्णायक होगा और उसके लिए बाध्यकारी होगा।
 - (ii) संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि वरिष्ठ निवासी किसी भी अवज्ञा हस्तक्षेप या अन्य कदाचार या समझौते के किसी भी प्रावधान या इस संबंध में संस्थान से संबंधित किसी भी नियम के किसी भी उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन का दोषी होगा निर्णायक हो और उस पर बाध्यकारी हो।
 - (iii) इस अनुबंध के तहत सेवा के दौरान किसी भी समय संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए तीस दिन की लिखित सूचना दी जाती है।

बशर्ते कि संस्थान के निदेशक यहां दिए गए किसी सूचना के एवज में वरिष्ठ निवासी को तीस दिनों के लिए उसके वेतन की राशि के बराबर राशि या तीस दिन से कम सूचना दे सकते हैं।

- 3. यदि वरिष्ठ निवासी को उसके आचरण की जांच के संबंध में कर्तव्य से निलंबित कर दिया जाता है तो वह निलंबन की ऐसी अविध के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।
- 4. विरष्ट निवासी अपना पूरा समय उक्त सेवा के कर्तव्यों के लिए समर्पित करेगा और अपने स्वयं के खाते में किसी भी व्यापार/व्यवसाय/पेशे (किसी भी निजी अभ्यास सिहत) में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होगा और (दुर्घटना या सक्ष्म चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बीमारी के मामले को छोड़कर) संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारियों से पहले अनुमित प्राप्त किए बिना खुद को अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं करता है।



- 5. वरिष्ठ निवासी, इस अनुबंध में दिए गए प्रावधान के अलावा, संस्थान द्वारा प्रवेश दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा किए बिना अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। संबंधित चूककर्ता ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि प्रवेश बंद होने की अंतिम तिथि के बाद, अर्थात्को या उसके बाद छोड़ने का निर्णय लिया जाता है।
- 6. के दिन से.................2022 तक संस्थान वरिष्ठ निवासी को तब तक भुगतान करेगा जब तक वह उक्त क्षमता में रहता है और वास्तव में पूर्वोक्त रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, एक मासिक वेतन संस्थान के नियमों के अनुसार।
- 7. वरिष्ठ निवासी को बाद के शैक्षणिक वर्ष के 31 जनवरी को या उससे पहले निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना चाहिए।
- वरिष्ठ निवासी चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के संबंध में ऐसी रियायत के लिए पात्र होगा जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- 9. वरिष्ठ निवासी को उनकी पात्रता के अनुसार छात्रावास में सिंगल/डबिल/पारिवारिक आवास प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ निवासी को उस संस्थान के छात्रावास के नियमों और विनिमयों का पालन करना होगा जहां वह रहता है और केवल लाइसेंसधारी के रूप में उसे आवंटित कमरे पर कब्जा करेगा। जब संस्थान पात्र आवास की पेशकश करने में असमर्थ है, तो संस्थान के नियमों के अनुसार ऐसे किनष्ठ निवासियों को एचआरए का भुगतान किया जा सकता है।
- 10. वरिष्ठ निवासी कार्यकाल की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर या उससे पहले वरिष्ठ निवासी की समाप्ति की स्थिति में उसे दिए गए आवास को पूर्वोक्त रूप में खाली कर देगा। संस्थान के निदेशक, जहां ऐसा आवास प्रदान किया जाता है, यदि वरिष्ठ निवासी ऐसे आवास को खाली करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है और निदेशक को उसका शांतिपूर्ण कब्जा देने की स्थिति में बेदखली के लिए कार्रवाई करने का हकदार होगा।
- 11. अध्ययन के अनुसरण में शैक्षणिक कार्य करने के अलावा, वह विभाग/इकाइयों के प्रमुख द्वारा सौंपे गए सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, जहां उसे रोगी देखभाल और अस्पताल के संचालन के हित में उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाने वाले रिकॉर्ड और ऐसे अन्य नैदानिक और तकनीकी कर्तव्यों का रखरखाव। निदेशक का निर्णय



वरिष्ठ निवासी ने उपरोक्त सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है या नहीं, यह संस्थान के वरिष्ठ निवासी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- 12. वरिष्ठ निवासी के काम के घंटे आम तौर पर एक दिन में बारह घंटे से अधिक के लिए निरंतर ड्यूटी से अधिक नहीं होंगे, ऐसी अत्यावश्यकताओं के अधीन जो विभाग (इकाइयों/वार्डों) के कामकाज में उत्पन्न हो सकती हैं, जहां उन्हें रखा जा सकता है और इसमें सम्मान भी संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और वरिष्ठ निवासी पर बाध्यकारी होगा।
- 13. वरिष्ठ निवासी कॉल और स्टे ड्यूटी पर होने के लिए उत्तरदायी होगा, जो सामान्य रूप से एक बार में 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।
- 14. अवधि के दौरान वह संस्थान के नियमों के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा/होगी।
- 15. वरिष्ठ निवासी को उसकी पढ़ाई के दौरान कहीं और नौकरी की स्थिति/असाइनमेंट के लिए आवेदन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी और इस तरह के आवेदन को समझौते की वैधता के दौरान अग्रेषित नहीं किया जाएगा।
- 16. वरिष्ठ निवासी को उसकी पढ़ाई बंद होने की स्थिति में संतोषजनक कार्य, अनुभव, प्रदर्शन आदि के किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र/ प्रशंसापत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- 17. संस्थान में किसी भी रूप में रैगिंग निषिद्ध है और जो साथी वरिष्ठ निवासी की रैगिंग का सहारा लेते हुए पाए जाते हैं और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैंने इस टिप्पणी को पढ़ लिया है और इसका पालन करता हूं।

गवाह में जहां वे वरिष्ठ निवासी और संस्थान के संकायाध्यक्ष और संस्थान की ओर से यहां पहले दिन और वर्ष के लिए अपना हाथ निर्धारित करना है।

जमानत शर्तें

गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए (ब्लॉक अक्षरों में)

(वरिष्ठ निवासी का नाम एवं हस्ताक्षर)

साक्षी के हस्ताक्षर नाम और पते के साथ

1.

2.

संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)

एससीटीआईएमएसटी, तिरुवनन्तपुरण केलिए और उसकी ओर से



अनुलग्नक- II

मैं श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रोद्योगिकी संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने का वचन देता हूं। मेरे अध्ययन छोडने की स्थिति में ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपय) का राशि, यदि कार्यग्रह के दूसरे दिन या उसके बाद, छोडने का निर्णय लिया जाता है।

दिनांकः

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए: (नाम एवं पता)

1. हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर



<u>अस्वीकरण</u>

जबिक प्रकाशन के समय इस जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, प्रकाशन के समय और उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी को देखने के समय के बीच परिवर्धन, अध्यतन, परिवर्तन और परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकते हैं। संस्थान उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है कि किसी भी संदेह के मामले में शैक्षणिक प्रभाग (0471-2524269) के साथ जानकारी की सटीकता और पूर्णता को सत्यांपित करें।